

0.075M THICK RAJES TILT OVER
 0.05M THICK MID FINISH OVER
 7 LAYERS OF HOT BITUMEN OVER
 0.11UM THICK E.C. SLAB



SECTION AT X-X'



ELEVATION



SECTION AT Y-Y'



(SECTION AT A-A')



PLAN OF WELL



(SECTION of footing)




(RCC FOOTING PLAN)




(COLUMN DETAIL)

key plan (n.t.s.)



SITE PLAN PLAN (scale 1:200)



FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



MULTI PLAN

1. TOTAL AREA
2. COVER AREA
3. AREA UNDER ROOF
4. AREA UNDER ROOF
5. AREA UNDER ROOF
6. AREA UNDER ROOF
7. AREA UNDER ROOF
8. AREA UNDER ROOF
9. AREA UNDER ROOF
10. AREA UNDER ROOF
11. AREA UNDER ROOF
12. AREA UNDER ROOF

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY
1	CEMENT	TONS	100.00
2	STEEL	TONS	50.00
3	BRICKS	NO.	1000000
4	AGGREGATE	CUM	500.00
5	SAND	CUM	250.00
6	CONCRETE	CUM	1000.00
7	PAINT	LITERS	5000.00
8	GLASS	SQ. M.	1000.00
9	ROOFING	SQ. M.	1000.00
10	WATER	LITERS	1000000.00
11	ELECTRICITY	KWH	10000.00
12	LABOUR	MAN-DAYS	10000.00

PROPOSED EDUCATIONAL BUILDING PLAN AT PLOT NO. 12, P.O. BOX NO. 12345, DISTRICT OF ...

PREPARED BY: SHELL ARCHITECTS
 DRAWN BY: ...
 CHECKED BY: ...

PROPOSED EDUCATIONAL BUILDING PLAN AT PLOT NO. 12, P.O. BOX NO. 12345, DISTRICT OF ...

SHELL ARCHITECTS
 12345 MAIN STREET, ...
 TEL: ... FAX: ...
 WWW.SHELLARCHITECTS.COM

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : ...525/16.../ चार (भ० नियंत्रण)

दिनांक: 19/11/16

श्री श्रीमती/मैसर्स ~~रफीकतुल मुल्क श्री मुलायम की सिंह यादव~~
~~शिक्षा प्रचार सोसैति अथवा श्री शक्ति कोटमदयान~~
 पी० 33-15 कोठी कताना देहली रोड केरठ

आपके पत्र दिनांक 12/11/16 मानचित्र सं० 526/16 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ~~शिक्षण~~ भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम ~~कोटिया नगर~~ योजना भूखण्ड/भवन सं० पोस्ट 5 P.S (22) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में तर्जुक्त नहीं होगा वहा प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदार नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगे।
- प्र.10 प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपेयाबी) करेगे।
- प्र.11 उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य सुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक:- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता ~~श्री श्री~~ को प्रेषित।

3/24/16
 प्रमाणित प्रमुख अधिकारी
 जोन (5)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ